

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:ई-33/रेडियो./एम 92/2019/11

दिनांक: 7/2/19

आदेश

श्री शंकर लाल शर्मा, रेडियोग्राफर, महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा जिनकी जन्म दिनांक 2.3.1959 है। श्री शंकर लाल शर्मा के 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.3.2019 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

कर्मचारी के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:ई-33/रेडियो./एम 92/2019/11

दिनांक: 7/2/19

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय पेंशन विभाग, अजमेर
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय वास्ते अपलोड।
6. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कार्मिक के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर